

विषय सूची

विषय	अनुच्छेद	संदर्भ पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v-viii
कार्यकारी सार		ix-x
अध्याय 1: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1
राज्य की जनसांख्यिकी	1.1.1	1
राज्य की अर्थव्यवस्था	1.1.2	1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय	1.1.2.1	2
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान	1.1.2.2	3
वित्त का स्नैपशॉट	1.1.3	4
निधियों के स्रोत एवं उपयोग	1.1.4	5
सरकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का स्नैपशॉट	1.1.5	6
राज्य की समेकित निधि	1.2	7
राजस्व प्राप्तियां	1.2.1	7
पूंजीगत प्राप्तियां	1.2.2	18
वित्त आयोग के अनुमान और वास्तविक	1.2.3	19
व्यय	1.2.4	20
राजस्व व्यय	1.2.4.1	23
पूंजीगत व्यय	1.2.4.2	29
आकस्मिकता निधि	1.3	36
लोक लेखा	1.4	37
निवल लोक लेखा शेष	1.4.1	37
आरक्षित निधियां	1.4.2	37
नकद शेष	1.4.3	38
राजकोषीय स्थिरता	1.5	40
लोक देयता प्रबंधन	1.5.1	41
देयता प्रोफाइल: घटक	1.5.1.1	42
उधार ली गई निधियों का उपयोग	1.5.1.2	44
ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	1.5.1.3	45
राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति	1.5.1.4	46
लेखापरीक्षा के बाद के घाटे के संकेतक	1.5.2	47
राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5.3	47
ऋण स्थिरता विश्लेषण	1.5.4	49
गारंटियों की स्थिति - आकस्मिक देयताएं	1.5.5	52

विषय	अनुच्छेद	संदर्भ पृष्ठ संख्या
राजकोषीय स्थिरता के मार्ग	1.5.6	53
राज्य के राजस्व में सुधार	1.5.6.1	53
व्यय पक्ष से संबंधित मामले	1.5.6.2	55
निष्कर्ष	1.6	57
सिफारिशें	1.7	58
अध्याय 2: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	59
बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर	2.2	59
बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक/सेवा-वार विश्लेषण	2.2.1	61
बजट मार्क्समैनशिप	2.3	62
विनियोग लेखे	2.4	63
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया	2.5	64
अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण	2.5.1	64
अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध होना	2.5.2	65
निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग	2.5.3	67
अप्रयुक्त राशि और सरेंडर किए गए विनियोग और/अथवा बड़ी बचतें/सरेंडर	2.5.4	68
राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण	2.5.5	70
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय	2.5.6	70
त्रैमासिक व्यय सीमा का अनुपालन न करना	2.5.7	73
एकल नोडल एजेंसी	2.6	76
एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श	2.7	77
चयनित अनुदानों की विस्तृत समीक्षा में पाए गए अन्य मामले	2.8	78
अनुदान संख्या 12 की समीक्षा	2.8.1	78
अनुदान संख्या 17 की समीक्षा	2.8.2	83
आकस्मिकता निधि	2.9	87
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.9.1	87
निष्कर्ष	2.10	88
सिफारिशें	2.11	88
अध्याय 3: वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार		
राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से बजटेतर उधार	3.1	89
सरकार की निर्वहन न की गई देयताएं	3.2	91
निर्वहन न की गई ब्याज देयता	3.2.1	91
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम अंशदान	3.2.2	91

विषय	अनुच्छेद	संदर्भ पृष्ठ संख्या
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट निधि	3.2.3	92
राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट/राज्य खनिज विकास निधि	3.2.4	93
रिफंड मामलों की लंबित स्थिति	3.2.5	93
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.2.6	93
सरकारी खातों से बाहर निधियां	3.3	94
हरियाणा ग्रामीण विकास निधि	3.3.1	94
हरियाणा अवसंरचना विकास बोर्ड	3.3.2	94
हरियाणा शहरी अवसंरचना विकास बोर्ड	3.3.3	95
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग निधि	3.3.4	96
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	3.4	96
सार आकस्मिक बिल	3.5	98
लघु शीर्ष-800 का संचालन	3.6	99
मुख्य उच्चत और ऋण, जमा एवं प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत बकाया शेष	3.7	100
विभागीय आंकड़ों का मिलान	3.8	101
नकद शेष का मिलान	3.9	101
मंडलीय अधिकारियों के पास पड़ी अव्ययित राशि	3.10	102
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.11	102
स्वायत्त निकायों के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.12	103
दुर्विनियोग, हानि, चोरी, आदि	3.13	104
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.14	106
निष्कर्ष	3.15	106
सिफारिशें	3.16	106
परिशिष्ट		
राज्य सरकार के वित्त पर का समय क्रम डेटा	1.1	109
वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.2	112
31 मार्च 2025 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.3	114
ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए	2.1	116
ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक सिद्ध हुए	2.2	117
20 अनुदानों के अंतर्गत बजट, व्यय एवं बचत का विवरण	2.3	118
प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक की निधियों का अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	2.4	119

विषय	अनुच्छेद	संदर्भ पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	2.5	121
अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत निधियों का अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोग	2.6	122
2022-25 के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान	2.7	124
2024-25 के दौरान बजट एवं बचत के उपयोग की अनुदान-वार प्रतिशतता	2.8	125
बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई	2.9	126
वास्तविक बचत के सापेक्ष अनुदान-वार अभ्यर्पित राशि का विवरण	2.10	127
अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2022-25 के दौरान सतत बचत	2.11	128
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगतगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण	2.12	131
उन योजनाओं का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से बजटीय प्रावधान को पूरी तरह से वापस ले लिया गया था	2.13	132
वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाला विवरण, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ तथा कुल व्यय के 30 प्रतिशत और उससे अधिक है	2.14	134
व्यय की अधिकता का योजनावार विवरण (अंतिम तिमाही के दौरान ₹ दो करोड़ से अधिक का व्यय और कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक का व्यय)	2.15	136
व्यय की अधिकता का योजनावार विवरण (अंतिम तिमाही के दौरान ₹ दो करोड़ से अधिक का व्यय और कुल व्यय के 30 प्रतिशत से अधिक का व्यय)	2.16	137
अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के लिए 2024-25 में बचत (₹ दो करोड़ एवं 20 प्रतिशत) का योजना-वार विवरण	2.17	138
महिला एवं बाल विकास विभाग में खोले गए बैंक खातों का विवरण	2.18	140
अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत दो चयनित विभागों के लिए 2024-25 में बचत (₹ दो करोड़ एवं 20 प्रतिशत) का योजना-वार विवरण	2.19	141
अनुदान संख्या 17 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2022-25 के दौरान सतत बचत	2.20	142
उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में राशि आहरित की गई	2.21	143
परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अंतर्गत अंशदान एवं निवेश का विवरण	3.1	144
2024-25 तक स्वायत्त निकायों के लेखों का बकाया	3.2	145